कार्यालय जिलाधिकारी, कन्नौज।
(खनन अनुभाग)

संख्या 445 /ख0लि0/2018 दिनांक 02/11/2018

साधारण बालू के भण्डारण के निस्तारण हेतु ई–ऑक्शन आमन्त्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–857/एम–खनन/भण्डारण/2018, दिनांक 12.07.2018 द्वारा उपखनिजों यथा बालू/मौरम के अवैध भण्डारण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के कम में शासनादेश के बिन्दु–3 में भण्डारण लाइसेन्स प्राप्त किये बिना बालू/मौरम का भण्डारण पाये जाने पर भण्डारित बालू/मौरम के सम्बन्ध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–21(4) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा उक्त नियम के अंतर्गत अवैध भण्डारित बालू/मौरम को सीज कर उसका निस्तारण ई–ऑक्शन के माध्यम से किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। उक्त के कम में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज के आदेश दिनांक 05.09.2018/13.09.2018 में निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत खनिज को नियमानुसार समुचित कार्यवाही करते हुये, उसकी ई–ऑक्शन करवाकर प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा करायें। इस आशय की सूचना न्यायालय को प्रेषित करें। ई–ऑक्शन की कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना अभियुक्त को भी पक्ष रखने हेतु प्रेषित की जाये। उक्त भण्डारण राज्य सरकार के पक्ष में निहित हो गया है तथा उक्त भण्डारण स्थलों पर भण्डारित बालू के निस्तारण हेतु ई–ऑक्शन द्वारा दिनांक 19/11/2018 को सांय 05:00 बजे तक वेबसाईट http:etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जा रही है, जो दिनांक 20/11/2018 को सांय 03:00 बजे तक कलेक्ट्रेट में खोली जायेगी। उक्त दिये गये निर्देशों के कम में निम्नांकित क्षेत्रों के प्रश्नगत खनिज को नियमानुसार समुचित कार्यवाही करते हुये, उसकी नीलामी कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तदनुसार भण्डारित क्षेत्रों का विवरण निम्नवत् है–

भण्डारण क्षेत्रों का विवरण

क्र0 सं0	भण्डारित उपखनिज का नाम	भण्डारित क्षेत्रों का विवरण			नियमावली–1963 के अनुसूची–1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमीटर)	भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में)	भण्डारित मात्रा की कुल रायल्टी रूपया में (कालम–7 में अंकित घनमीटर को कालम 6 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि	अर्नेस्ट मनी (कालम 8 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
		तहसील	ग्राम	भण्डारण स्थल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	साधारण बालू	कन्नौज	कटरी दुर्जनापुर	पटटाधारक द्वारा निर्मित कार्यालय के पास	55/–	38775	2132625/–	533157/–
02	साधारण बालू	कन्नौज	कटरी दुर्जनापुर	मन्दिर के सामने	55/–	15672	861960/–	215490/–

03	साधारण बालू	कन्नौज	जलेसर अलीपुर	श्री अवध बिहारी पुत्र श्री हरगोविन्द निवासी बारामऊ सहाय के खेत में	55/–	4100	225500/–	56375/–
04	साधारण बालू	कन्नौज	जलेसर अलीपुर	श्री अम्बिका प्रसाद पुत्र श्री मुंशीलाल निवासी बारामऊ सहाय के खेत में	55/–	3200	176000/–	44000/–
05	साधारण बालू	कन्नौज	जलेसर अलीपुर	श्री महावीर पुत्र नैन सुख, निवासी बारामऊ सहाय के खेत में	55/–	900	49500/–	12375/–
06	साधारण बालू	कन्नौज	कटरी सददूपुर	श्री दशरथ पुत्र चेतराम, निवासी कटरी सददूपुर के खेत में	55/–	2560	140800/–	35200/–
07	साधारण बालू	कन्नौज	कटरी सददूपुर	श्री रामनिवास पुत्र श्री हरीशंकर, निवासी कटरी सददूपुर के खेत में	55/–	990	54450/–	13613/–
08	साधारण बालू	कन्नौज	कटरी सददूपुर	श्री सुभाष चन्द्र व विकास पुत्रगण बालिका प्रसाद, निवासी कटरी सददूपुर के खेत में	55/–	7500	412500/–	103125/–
09	साधारण बालू	कन्नौज	कटरी जलेसर अलीपुर खण्ड–1	कटरीजलेसर अलीपुर खण्ड के गंगाघाट के किनारे	55/–	3750	206250/–	51563/–
10	साधारण बालू	कन्नौज	दरियापुर पट्टी	ग्राम दरियापुर पट्टी स्थित मुरारी यादव पुत्र इतवारी लाल यादव के खेत में	55/–	1700	93500/–	23375/–
11	साधारण बालू	छिबरामऊ	बिराहिमाबाद उर्फ गुर	ग्राम बिराहिमाबाद उर्फ गुर	55/–	2500	137500/–	34375/–
12	साधारण बालू	छिबरामऊ	नगला पीते	ग्राम नगला पीते रोड के किनारे गिरीश पुत्र बाबूराम के खेत में	55/–	150	8250/–	2063/–
13	साधारण बालू	छिबरामऊ	अलीपुर मोड सौरिख	ग्राम अलीपुर स्थित ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी पत्नी	55/–	60	3300/–	825/–

				स्व0 सियाराम, निवासी तिर्वा रोड मकान के पश्चिम तरफ खेत में				
14	मौरम	कन्नौज	अकबरपुर सरायघाघ	मै0 रामलाल सुन्दर लाल कन्नौज के डिपो में	150/–	126.36	18954/–	4739/–
15	मौरम	कन्नौज	अकबरपुर सरायघाघ	मै0 रामलाल सुन्दर लाल कन्नौज डिपो के गेट के बाहर	150/–	56	8400/–	2100/–
16	गिट्टी	कन्नौज	अकबरपुर सरायघाघ	मै0 रामलाल सुन्दर लाल कन्नौज डिपो के गेट के बाहर	160/–	37.51	6002/–	1501/–

2– अनुज्ञा पत्र की अवधि 03 माह होगी। 03 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार भी अनुमन्य नहीं होगा।

3– कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–ऑक्शन संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिनमें निम्नलिखित बाते होंगी:–

(क) विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

(ख) विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

(ग) निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान)
ई–मेल एवं मोबाईल नं0।

(घ) भण्डारित क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है।
जिसमें निम्न हो–
उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
भण्डारित क्षेत्र का नाम/ग्राम–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या–
विज्ञप्ति में दी गई भण्डारित मात्रा–

(ड) निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं0 (पता प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)।

(च) खनिज के प्रति घन मीटर के लिये दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिये नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।

(छ) भण्डारित मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिलाधिकारी के पक्ष में जहाँ वह भण्डारित क्षेत्र स्थित है, का अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–ऑक्शन खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की ई–ऑक्शन हेतु पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसका ई–ऑक्शन नहीं खोला जायेगा एवं निरस्त समझा जायेगा।

(ज) खनन देय बकाया न होने के संबंध में शपथ पत्र।

(झ) उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

(अ) पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।

4– ई–ऑक्शन आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात दिनांक 19/11/2018 तक ई–टेण्डर पोर्टल **http:etender.up.nic.in** पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

5– विज्ञप्ति के अनुसार 15 कार्य दिवस में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।

6– बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–ऑक्शन के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–ऑक्शन के साथ अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलखों की मूल प्रति/ प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 20/11/2018 के 12:00 बजे मध्यान्ह के पूर्व जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का कमांक अंकित करना होगा। अपलोड किये गये अभिलखों की प्रमाणित/मूलप्रति व ड्राफ्ट की मूल प्रति निर्धारित समयावधि में जिलाध्किारी कार्यालय के खनन अनुभाग में जमा न करने वाले निविदादाता का ई–ऑक्शन नहीं खोला जायेगा। जिसमें कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7– भण्डारित क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोडकर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

8– जिलाधिकारी को कोई कारण बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

9– भण्डारित स्थल से साधारण बालू का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र–सी के माध्यम से ही किया जायेगा।

10– जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है।

11– भण्डारित क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

12– मौरम/गिट्टी/बालू उठान की अवधि 03 माह के लिए होगी, अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। भण्डार स्थल से खनिज का उठान उत्तर प्रदेश अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण का निवारण नियमावली–2002 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

13– उच्चतम निविदा के निविदाकर्ता को छोडकर अन्य आवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

14– प्राप्त निविदाओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।

15– भण्डारित मात्रा के आधार पर ई–ऑक्शन में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 25 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने के पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

16– मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

17– ई–ऑक्शन के आवेदन से पूर्व विज्ञापित किये गये क्षेत्रों के सम्बन्ध में आंकलित मात्रा, निकासी मार्ग आदि के सम्बन्ध में स्वंय स्थलीय निरीक्षण आदि कर, संतुष्ट होने पर आवेदन करें। इस सम्बन्ध में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

18– चयनित निविदादाता से नियमानुसार 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 एवं 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा कराना अनिवार्य होगा।

19– सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित स्थल से बालू उठाने हेतु अनुमति /प्रपत्र–सी निर्गत किया जायेगा।

अन्य नियम एवं शर्तें:–

सहमति पत्र निर्गत होने के उपरान्त कोई भी दावा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–**

1– अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।

3– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति संख्या– 444 /दिनांक 02/11/2018 का निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

4– आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।

5– प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज।

6– पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।

7– प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ।

8– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), कन्नौज।

9– उपजिलाधिकारी, सदर/छिबरामऊ/तिर्वा।

10– जिला सूचना अधिकारी, कन्नौज को उपरोक्तानुसार संलग्न विज्ञप्ति संख्या–444/दिनांक 02/11/18 का स्थानीय प्रमुख समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन किये जाने हेतु।

11– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कन्नौज को इस आशय से प्रेषित कि बेबसाईट http:etender.up.nic.in पर तत्काल अपलोड कराने तथा सूचना की प्रतिलिपि जिले की बेबसाइट पर भी अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

12– नाजिर कलेक्ट्रेट को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

प्रारूप–2

ई–ऑक्शन प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–ऑक्शन निरस्त की जा सकती है।

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाका के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाईल नम्बर	
8	ई–मेल आईडी	
9	पैन कार्ड नम्बर	पैन कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
10	पता का प्रमाणपत्र (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड।/फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)	पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
11	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उप खनिज का नाम– ख. जनपद का नाम– ग. तहसील का नाम– घ खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम– ड़ गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या– च. क्षेत्रफल (एकड में)–	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र	घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण–पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
14	खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जा रही दर जो नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिये निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।	रू0–........ प्रति घन मी0(अंको में) रू0–........ प्रति घन मी0(शब्दों में)
15	विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिए दी गई भण्डारित भण्डार की मात्रा	....घनमीटर
16	क्षेत्र में भण्डारित भण्डार की मात्रा को नियमावली के अनुसूची–1 में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर से गुणा करने पर जो धनराशि आती है उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का विवरण।	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि..... बैंक का नाम व शाखा–..... ड्राफ्ट का नम्बर....... बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

कन्नौज।

कार्यालय जिलाधिकारी, कन्नौज।
(खनिज अनुभाग)

संख्या 444 /खनिज लिपिक–प्रेस विज्ञप्ति/2018 दिनांक नवम्बर02 2018

प्रेस–विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कन्नौज में 38775, 15672, 4100, 3200, 900, 2560, 990, 7500, 3750, 1700, 2500, 150, 60 घनमीटर साधारण बालू, 126.36, 56 घनमीटर मौरम एवं 37.51 घनमीटर गिट्टी के भण्डारण के निस्तारण हेतु ई–ऑक्शन द्वारा दिनांक 19.11.2018 को सांय 05:00 बजे तक बेबसाईट http:etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जा रही है, जो दिनांक 20.11.2018 को सांय 03:00 बजे तक कलेक्ट्रेट में खोली जायेगी। उक्त आमंत्रण सूचना की सम्पूर्ण प्रकिया एवं शर्तो की जानकारी बेबसाईट http:etender.up.nic.in तथा जनपद की बेबसाइट http:kannauj.nic.in पर अपलोड करा दिया गया है, जिसे सभी सम्बन्धित (इच्छुक निविदादाता/बोलीदाता) द्वारा देखा जा सकता है तथा सम्पूर्ण प्रकिया एवं शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय, कन्नौज एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कन्नौज के यहॉ से प्राप्त की जा सकती है।

(उमेश चन्द उपाध्याय)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
कन्नौज।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

2– जिला सूचना अधिकारी, कन्नौज को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन 02 प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों में निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें।

(उमेश चन्द उपाध्याय)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
कन्नौज।